राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर (राज.)
दूरभाष : 0141-2226638

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

विषय सूची

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 4

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 4

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग 4

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 5

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध–घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 6

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 6

केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना 8

छात्रावास सुविधा 8

आवासीय विद्यालय योजना 9

अनुप्रति योजना 11

वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्त एवं विशेष योग्यजन पेंशन 12

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 12

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 12

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 13

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 13

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना 14

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 14

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 16

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना 17

सहयोग एवं उपहार योजना 17

राज्य महिला सदन/नारी निकेतन 18

उज्ज्वला योजना 18

स्वाधार गृह योजना 19

दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार 20

पालनहार योजना 20

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004 21

जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम..22
राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड...22
राज्य वृद्धजन नीति...22
चिरायु योजना–2008..22
अनुसूचित जाति उप योजना...23
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 23
गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना 24
नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम,1955 का क्रियान्वयन 24
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 यथा संशोधित 2015 का क्रियान्वयन 24
अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता..25
टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना...25
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह...25
राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 25
राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड 26
केश कला बोर्ड..26
राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग..26
अम्बेडकर पुरस्कार योजना 27
अन्त्येष्टि अनुदान योजना...27
देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 28
देवनारायण योजनान्तर्गत घोषित 200 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज 31
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 32
देवनारायण गुरूकुल योजना 32
नशामुक्ति कार्यक्रम 32
नवजीवन योजना...33
परिवीक्षा सेवायें 33
कारागृह कल्याण सेवायें..33

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाऐं संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकें।

- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- विशेष समूह उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

Back

राज्य में अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक व व्यवसायिक पाठयक्रमों हेतु निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं :–

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

योजना की पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

नोटः– विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है।

देय लाभ

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

Back

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग

योजना की पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्रा–छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
5. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो :–

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित श्रेणियां :–

1. बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
2. बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
3. अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री
4. अन्त्योदय कार्ड धारक का पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
6. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका
8. अनाथ बालक
9. विधवा स्वयं
10. विधवा की पुत्री
11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं
13. तलाकशुदा महिला की पुत्री
14. तलाकशुदा महिला का पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं,
16. विशेष योग्यजन की पुत्री
17. विशेष योग्यजन का पुत्र

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.ड़ी 2. आधार कार्ड 3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद 6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंत तालिका 7. जाति प्रमाण–पत्र

देय लाभ

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

Back

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना की पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1,00 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी. 2. आधार कार्ड 3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद 6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षण की अंक तालिका

देय लाभ

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

Back

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध–घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना की पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका

देय लाभ

इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

Back

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

योजना की पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये के कम हो।
2. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो
3. **छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।**
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

उक्त योजना में शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण/भुगतान नियमानुसार देय है।

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ

विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में अनुरक्षण भत्ते (Maintenance allowance) की दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं :–

ग्रुप	कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ है, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है)	SC / ST/ SBC/ DNTs		OBC / EBC		CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना)
		छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	छात्रावासी	गैर–छात्रावासी	
A	IIT AIIMS ,MBBS, P.G., C.A., CS, M Phil, PhD, D.Litt. LLM, etc.	1200	550	750	350	योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B	B Pharma, Nursing, LLB, M.Ed, M.A.,Msc, M.Com. M.Pharma. Diploma etc.	820	530	510	335	
C	B.A., B.Sc., B.Com	570	300	400	210	
D	ITI. Polotechnic Diploma, Class XI and XIIth	380	230	260	160	

आवेदन कैसे करें

विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक new Scholarship portal पर अथवा छात्रवृति पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

Back

केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना

राजकीय/मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इन्जिनीयरिंग, कृषि, पॉलोटेक्निक, विधि, प्रबन्धन, सी.ए. जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं को **उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों** को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाने हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को बजट उपलब्ध करवाया जाता है। जिसके अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों में दो छात्रों पर एक सेट के लिए 2400 रूपये से 7500 रूपये दिये जाते है एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक छात्र पर एक सेट के लिए 5000 रूपये आंवटन किये जाते है। एवं प्रति अलमारी हेतु 2000 रूपये तक दिये जाते है।

Back

छात्रावास सुविधा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यालय स्तर के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिये विद्यालय स्तरीय 670 राजकीय एवं 86 अनुदानित कुल 756 छात्रावास स्वीकृत/संचालित किये जा रहे है , इसके अतिरिक्त अनु. जाति/अनु.जनजाति/विशेष पिछडा वर्ग के महाविद्यालय स्तरीय 44 कन्या छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इस प्रकार विभाग द्वारा 756 विद्यालय स्तरीय एवं 44 महाविद्यालय स्तरीय कुल 800 छात्रवास स्वीकृत/संचालित किये जा रहे है। छात्रावास में निवास करने वाले छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, शिक्षण प्रशिक्षण, खेलकूद एवं कठिन विषयों हेतु विशेष कोचिंग व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। विभाग द्वारा संचालित राजकीय एव अनुदनित छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था है, जिससे छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं सुविधा रहे। प्रवेश की प्रक्रिया को विभाग की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

<u>प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज</u>

ई–मेल आई. डी. एवं पासवर्ड (पूर्व से आवासरत छात्र/छात्रा के लिए अगली कक्षा में प्रवेश हेतु)

<u>नवीन प्रवेश हेतु</u>

1. भामाशाह आई.डी./ भामाशाह रजिस्ट्रेशन नं. रसीद
2. आधार कार्ड./आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नं. रसीद
3. जाति प्रमाण पत्र
4. गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
5. आय का घोषणा पत्र
6. मूल निवास प्रमाण पत्र
7. बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र (केवल बी.पी.एल. के लिए)
8. निःशक्तता प्रमाण–पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिए)
9. माता–पिता की मृत्यु प्रमाण–पत्र(केवल अनाथ के लिए) 10. पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र(केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए)
10. छात्र का चरित्र प्रमाण–पत्र (विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है)

- नोटः– गत वर्ष के आवासीय छात्र जो छात्रावास में पुनः प्रवेश लेना चाहते वे केवल अपनी अंक तालिका को स्वप्रमाणित करके गत वर्ष की स्वयं की मेल आई डी पर अपलोड कर सकते है ,उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन करते समय प्रार्थी अपने सम्बन्धित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करके ही स्कैन कर अपलोड़ करें।
- स्कूल स्तरीय छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक नियत रहती है।

छात्रावास मैस भत्ते हेतु निर्धारित राशि का मदवार विवरण

क्र. स.	नाम मद	देय राशि प्रतिमाह (प्रति आवासी)
1	निर्धारित खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुऐं	1040.00
2	ईधन (कुकिंग गैस) आदि	100.00
3	मौसमी सब्जियां व फल	160.00
4	दूध	150.00
5	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज) जूते–मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	200.00
6	बाल कटाई	25.00
7	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि का धुलाई	35.00
8	बिजली–पानी	200.00
9	समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि	10.00
10	छात्रावास की साफ सफाई	30.00
11	सामान्य मरम्मत–बिजली, वाईरिंग व फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेट्री मरम्मत, पंलग मरम्मत आदि	50.00
		2000.00

आवेदन कैसे करे

छात्रावास में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवदेन पत्र sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Back

आवासीय विद्यालय योजना

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय योजना 1997–98 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों तथा भिक्षावृति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हैं। राज्य में 22 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 से 3 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
- 22 आवासीय विद्यालयों में से 10 विद्यालय KfW जर्मनी के आर्थिक सहयोग से एवं 12 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्मित है।
- 22 आवासीय विद्यालयों में से निम्न आवासीय विद्यालय विशेष वर्गों के लिए निम्नानुसार संचालित हैः–
  (i) गैर–जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय केनपुरा (पाली), पावटा (नागोर), बगडी (दौसा), हिंगी (कोटा), अटरू (बारां), छाण (सवाई माधोपुर), मण्डोर (जोधपुर), भैंसवाडा (जालोर), वजीरपुरा (टोंक) एवं आटूण (भीलवाडा)।
  (ii) जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय खोडन (बांसवाडा) एवं खेडाआसपुर (डूंगरपुर)
  (iii) हरियाली (जालौर), धनवाडा (झालावाड) एवं सागवाडा (डूंगरपुर) निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।
  (iv) मण्डाना (कोटा) भिक्षावृति व अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(v) देवनारायण आवासीय विद्यालय तेलीखेडा, सुवाना (भीलवाडा), चाण्डपुरा (जालोर), युसुफपुरा (टोंक), बालेटा (अलवर), देवलेन (करौली) एवं हिण्डौली (बूंदी)।

(vi) जैसिन्धर स्टेशन (बाडमेर) आवासीय विद्यालय बालक 280 क्षमता तथ मच्छीपुरा (सवाई माधोपुर) एवं अमरपुरा (दौसा) दो बालिका आवासीय विद्यालय 280—280 क्षमता के संचालन की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

- सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017—18 में कुल **7855** बालक/बालिकाऐं अध्ययनरत है। सत्र 2018—19 की प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।
- ***देय सुविधाऐं*** :— इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, स्कूल ड्रेस, पाठयपुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।
- **राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों में ई—टयूशन की सुविधा प्रदान किया जाना नियत किया गया है।**
- ***प्रवेश का आधार***:— विद्यालयों में प्रवेश पिछली कक्षा में अर्जित अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाता है।
- ***योजना का उद्देश्य*** :— के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- ***योजना किन वर्गों के लिए*** —
  राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग तथा निष्क्रमणीय, भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों व आर्थिक पिछडा वर्ग के गरीब बालक/बालिकाओं के लिए।
- ***योजना हेतु पात्रता*** :— राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम हो आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है।
- ***प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत***:—

क्र.स.	वर्ग	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जाति • 15% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग(विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
2	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जनजाति • 15% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
3	विशेष पिछडा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देवनारायण आवासीय विद्यालय)	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 10% अन्य पिछडा वर्ग • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
4	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु
5	भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु

आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त आरक्षित वर्गो में स्थानीय जिले के 50% तथा अन्य जिलों के लिए 50% स्थान आरक्षित होंगे।

नोटः— अधिक जानकारी हेतु विभागीय बेवसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है एवं दूरभाष नम्बर 0141—2220278 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Back

अनुप्रति योजना

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल/सामान्य वर्ग बीपीएल परिवारों के अभ्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना का निम्नानुसार संचालन किया जा रहा है।

योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर : रू. 65,000
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर : रू. 30,000
- साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर : रु. 5,000

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु

- प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर : रू. 25,000
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः : रू. 20,000
- साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर : रु. 5,000

प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानो जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम, एनएल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000/– रूपये है।

राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल / इंजीनियरींग कालेज आर.पी.एम.टी./आर.पी.ई.टी. में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपये है।

योजना की पात्रता

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विशेष
- पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल.(रटेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल, सहित) का सदस्य हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उतीर्ण कर लिया गया हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एंव अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी. **2.** आधार कार्ड **3** परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र **4.** आय का घोषणा पत्र **5.** मूल निवास प्रमाण पत्र

6. जाति प्रमाण पत्र **7.** फीस की रसीद **8.** आई.डी. कार्ड **9.** बैंक खाता संख्या **10.** बी.पी.एल. प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

अनुप्रति योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक SJMS portal पर किया जा सकता है।

Back

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्त एवं विशेष योग्यजन पेंशन

राज्य में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 (दिनांक 1.04. 2013 से प्रभावी) के तहत वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्त एवं तलाकशुदा पेंशन एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 (दिनांक 1.04.2013 से प्रभावी) के तहत विशेष योग्यजन पेंशन दी जा रही।

Back

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

   पेंशन दरः– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू.750/– प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.200/–प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/–प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

Back

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

1. केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं ।

   पेंशन दरः– 40 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष कम आयु की पेंशनर को रू. 500/–प्रतिमाह 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 1000/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रू. 1500/– प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/–प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू.500/–प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

Back

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

1. केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवारी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।

इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995'' में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा।

(i) अंधता (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्तिह्रास

(v) चलन निःशक्तता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता

पेंशन दरः–18 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 750/– प्रतिमाह पेंशन देय है । जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/–प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/–प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।

Back

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

1. **55** वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दरः– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 500/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 750/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

नोटः– **यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।**

Back

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

1. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है।

   बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

   पेंशन दरः– 18 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष कम आयु की पेंशनर को रू. 500/–प्रतिमाह 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 1000/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर रू. 1500/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

   नोटः– यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगा।

Back

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

1. किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एंव प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से)रू.60000/– तक हो पेंशन का पात्र होगा।

   बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

   पेंशन दरः–किसी भी आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रू. 750/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

   नोटः– यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

Back

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2013–14/ 1057 जयपुर, दिनांक : 26/4/18

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय 1 के नियम 3 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है : –

नियम–3 (iv) – पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है –

(1)	किसी भी आयु का विशेषयोग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, श्रवण शक्ति ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, के मामले में।	750/–रू प्रतिमाह
(2)	कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति के मामले में	1500/–रू प्रतिमाह

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राईवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161600422 दिनांक 30.03.2018 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते है।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगा।

(जे.सी.महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि/2013–14/ 1058–1558 जयपुर, दिनांक 26/4/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
9. उप शासन सचिव, वित्त (नियम अनुभाग)/(व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (IFMS), निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
13. श्री आई.डी. दरियानी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
14. श्री शेखर शुक्ला, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
16. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी।
17. एसीपी (पेंशन)/एसीपी (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
19. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बीपीएल परिवारों तथा आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा लाभ दिये जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05. 2017 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत एवं 51 वर्ष से 59 के आयुवर्ग बीमा किये जाने वाले सदस्यों को पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया है।

	(अ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	(ब) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	(स) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)
पात्रता	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार
आयु (Age)	18—50 वर्ष	18—50 वर्ष	51—59 वर्ष
प्रीमियम	330 रू. प्रतिवर्ष	12 रू. प्रतिवर्ष	200 रू. प्रतिवर्ष
हित लाभ	किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर — 2 लाख	क — दुर्घटनावश मृत्यु — 2 लाख रू. ख — दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 2 लाख रू ग — एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 1 लाख रू	(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में — — 30000/—रू (ब) दुर्घटना में :— (क) मृत्यु होने पर — 75000/—रू (ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर — 75000/— (ग) 2 आंखे या 2 हाथ/पैर (Limb) या एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर — 75000/—रू (घ) एक आंख या एक हाथ/पैर(Limb) की क्षति होने पर — 37500/—
	बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को रू. 100 प्रतिमाह की दर (तिमाही आधार पर रू. 1200 प्रतिवर्ष) से छात्रवृति का लाभ इस योजना के अन्तर्गत देय हैं।	बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को रू. 100 प्रतिमाह की दर (तिमाही आधार पर रू. 1200 प्रतिवर्ष) से छात्रवृति का लाभ इस योजना के अन्तर्गत देय हैं।	बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को रू. 100 प्रतिमाह की दर (तिमाही आधार पर रू. 1200 प्रतिवर्ष) से छात्रवृति का लाभ इस योजना के अन्तर्गत देय हैं।

नोटः– 18 वर्ष से 50 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों को उपरोक्त सारणी के ''अ'' एवं ''ब'' के अनुसार तथा 51 वर्ष से 59 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों हेतु ''ब'' एवं ''स'' के अनुसार मृत्यु/दुर्घटना बीमा लाभ देय होगे।

Back

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2016–17 के बजट में विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रुपये 30,000/– देने की घोषणा की। गई।

उक्त योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की । उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा, जिसकी आवश्यक जांच पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी।

Back

सहयोग एवं उपहार योजना

सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना संचालन निगम, जारी किये गये।

<u>पात्रता</u>

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियो को ही दी जा सकेगी।
2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होगें।
3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानो के विवाह हेतु ही लागू होगी।
4. समस्त वर्गो के बी.पी.एल. परिवार।
5. सभी वर्गो के अन्त्योदय परिवार।
6. आस्था कार्डधारी परिवार।
7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगीः–
   I महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नही किया है।
   ii विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हो।
   iii परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नही हो।
8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों को देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है। संरक्षक की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हे
9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नही है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नही है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

Back

राज्य महिला सदन/नारी निकेतन

महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाओं की समस्या के प्रसंग में महिला स्वयंसिद्धा योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि विधवा और निराश्रित जरूरतमंद महिलाएं विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जा सके।

प्रथम चरण में जयपुर मुख्यालय पर महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 एकड़ भूमि आगरा रोड जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वयंसिद्धा केन्द्रों पर महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, दूरस्थ द्य शिक्षा द्वारा शिक्षण, नशामुक्ति प्रशिक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार कार्य बाबत प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। इन स्वयसिद्धा केन्द्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य

1 निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2 . प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें ।

पात्रता

1 इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा।

2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

महिला स्वयंसिद्धा केन्द्रों में प्रवेशित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इन केन्द्रों में प्रवेशित महिलाएं अपने 10 वर्ष तक के बच्चों को भी साथ रख सकेंगी।

Back

उज्ज्वला योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजनान्तर्गत देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवार्छनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का। कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

उद्देश्य

- सामाजिक योगदान और जनता में जागरूकता बढ़ाकर, जगह–जगह नुक्कड़ नाटक, फिल्मों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनकी तस्करी को रोकना
- पीड़ितों को शोषण के स्थान से बचाने के लिए सुरक्षित जगह ले जाना।
- पीड़ितों को तत्काल और दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी एवं कानूनी सहायता और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- पीड़ितों को परिवार और समाज में पुर्नस्थापन की सुविधा प्रदान करना।
- सीमावर्ती पीड़ितों को अपने देश भेजने की सुविधा प्रदान करना।

लक्षित समूह

- ऐसी महिलाएं और बच्चें जो कि व्यावसायिक यौन शोषण की चपेट में आ जाने पर असुरक्षित है।
- ऐसी महिलाएं और बच्चे जो की व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार है।

योजना के घटक

निवारण (Prevention)
बचाव (Rescue)
पुनर्वास (Rehabilitation).
पुनः ऐकीकरण (Re&integration)
देश–प्रत्यावर्तन (Repatriation)

Back

स्वाधार गृह योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

उद्देश्य

1. बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली व्यथित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना।
2. दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार एवं व्यथित महिलाओं में उनके भावनात्मक मनोबल को सुद्रढ कर उन्हें समर्थ बनाना।
3. परिवार, समाज में स्वयं का पुनः अवस्थित करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. आर्थिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण पुनःस्थापित करना।
5 व्यथित महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने और उन्हें पूरा करने के लिए सहायक तंत्र के रूप में काम करना।
6 सम्मान एवं विश्वासपूर्वक नए सिरे से जीवन आरंभ करने के योग्य बनाना।

कार्यनीति

(क) भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि सहित अस्थायी आवास
(ख) ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनःस्थापन हेतु व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण।
(ग) काउंसलिंग, जागरूकता में बढ़ोतरी तथा आचरण संबंधी प्रशिक्षण।
(घ) कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन।
(ड) दूरभाष द्वारा कांउसिलिंग।

लाभार्थी

निम्न वर्गों से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
(क) बिना किसी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता वाली परित्यक्त महिलाएं।
(ख) प्राकृतिक आपदा के पश्चात् बेघर हुई महिलाएं जिन्हें कोई सामाजिक अथवा आर्थिक सहायता या सहयोग प्राप्त नहीं है।
(ग) जेल से रिहा की गई ऐसी महिलाएं जिनका कोई परिवार नहीं है तथा जो सामाजिक आर्थिक रूप से असहाय हों।
(घ) घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह से पीडित महिला जो गुजारा भत्ता के बगैर घर छोड़ने पर विवश हों तथा ऐसी महिलाएं जिनके पास शोषण और/या वैवाहिक कलह के कारण मुकदमेबाजी झेल रही हो, और उनके पास कोई विशेष सुरक्षापाय न हो।
(ड) महिलाओं के अवैध व्यापार/वैश्यालयों से छुडाई गई या भाग कर बेचकर आई हुई बालिकाओं या अन्य स्थानों से जहां वे शोषण का शिकार हो जाती हैं तथा एचआईवी/एड्स से पीडित सामाजिक या आर्थिक सहायता से विहीन महिलाए । यद्दपि ऐसी महिलाएं/बालिकाएं पहले उज्ज्वला स्कीम के अन्तर्गत, जहां कहीं भी लागू होगी, सहायता प्राप्त करेंगी।

Back

दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार

दहेज का ''लेना व देना'' प्रतिबन्धित करने के लिए अधिनियम हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961'' है।

समाज सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभाग द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों में जिलाधिकारियों (उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) को उनके क्षेत्राधिकार सहित नियुक्त किया गया है। अधिसूचित नियम 2004 के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित कार्यों का प्रशासन व समन्वय का कार्य मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा किया जाता है;

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कार्यक्षमता और प्रक्रिया को बढ़ाने, सलाह देने और निर्धारण के उद्देश्य से सम्बन्धित मामलों में उचित सहयोग प्रदान करेगा;

कोई भी परिवार किसी भी व्यक्ति या ऐसे माता–पिता या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा या किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण अधिकारी को या तो व्यक्तिशः या सन्देशवाहक के माध्यम से या डाक से लिखित में प्रस्तुत कराया जा सकता है।

Back

पालनहार योजना

उद्देश्य

अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

पात्रता

1. अनाथ बच्चे
2. मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

देय लाभ

1. 0–6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6–18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

शर्तें

1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

दस्तावेज

1. अनाथ बच्चो के प्रकरण में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता–पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति।
5. एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी (ग्रीन डायरी) की प्रति
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
7. नाता जाने वाली माता की के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
8. विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
9. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)

आवश्यक दस्तावेज

1. पालनहार का भामाशाह नम्बर (EID/UID Number)
2. पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र की प्रति
   आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय रु. 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए) : विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पर्याप्त होगा।
3. बच्चे का आधार कार्ड (UID Number)
4. अनाथ बच्चों का पालन–पोषण करने का प्रमाण पत्र
5. आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण / विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र

आवेदन

ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से

आवेदन एवं भुगतान की स्थिति देखने हेतु

http://palanhaar.rajasthan.gov.in
or,
http://www.sje.rajasthan.gov.in

Back

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004

वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को उल्लासपूर्वक बिता सकें, इसके लिए राजस्थार सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःसहाय / निराश्रित / वृद्ध / अशक्त / वृद्ध दम्पत्ति की उचित देखभाल हेतु राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार वृद्ध कल्याण सेवा आश्रम नियम जारी किये गये। इन केन्द्रों में 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के पुरूष तथा 55 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को उनके परिवार से जुड़े रहते हुए एक ओर उनकी आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि की पूर्ति करना है वही दूसरी ओर उनके अमूल्य हुनर व अनुभव द्वारा संबंधित वर्गों को लाभान्वित करना है। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में एकीकृत पैकेज के अन्तर्गत 25–25 वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। वृद्धजनों को इन आश्रमों में निःशुल्क चाय, अल्पाहार, भुने हुए चने, कभी–कभी विशेष भोजन आदि देने का प्रावधान है। इन आश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन हेतु राज्य सरकार द्वारा टेलीविजन, ताश, कैरम, ढोलक, हारमोनियम, गीता, रामायण व दैनिक समाचार पत्र की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

13 जिलों में 25 डे केयर संचालित है।

Back

जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम

वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा संख्या 88 की क्रियान्विति की पालना में वृद्धाश्रम संचालन नियम के अंतर्गत किराये के भवनों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन किया गया। वर्तमान में जिला एवं तहसील मुख्यालय पर 17 जिलों में 30 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है।

Back

राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड

''राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड'' का गठन कर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनमें विश्वास कायम करने की दृष्टि से ''राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड'' का गठन किया गया था।

इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सृजनात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करके सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों तथा समुदाय की क्षमता के निर्माण में जागरूकता पैदा करना एवं सहायता प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बच्चों व युवाओं को संवेदनशील बनाना, वयोवृद्धों की विशेष देखभाल करने और ध्यान रखने की भारतीय परम्पराओं को सुदृढ़ बनाना व स्वयं वृद्धों को अपने अधिकारों एवं हितों के संरक्षण योग्य बनाना है।

Back

राज्य वृद्धजन नीति

राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के समग्र कल्याण एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु 8 दिसम्बर, 2004 को राज्य वृद्धजन नीति जारी की जा चुकी है।

Back

चिरायु योजना–2008

राज्य में उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से चिरायु योजना वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत पी.पी.पी. मोड़ पर वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा 13 वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

Back

अनुसूचित जाति उप योजना

अनुसूचित जातियों के समयबद्ध एवं सर्वांगीण विकास के लिए विशिष्ट संघटक योजना प्रारम्भ की गई थी; इस योजना के अन्तर्गत विकास से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए राज्य आयोजना से लक्ष्य निर्धारित कर तद्नुसार आवश्यक बजट राशि का प्रावधान किया जाता है; इस राशि से विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के लोगों के लिए योजनाएं बनाकर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं द्वारा लाभान्वित कर योजनान्तर्गत उत्पादक सम्पत्ति का सृजन किया जाना है, ताकि उक्त वर्ग के लक्षित परिवारों की आय में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2006—07 से विशिष्ट संघटक योजना का नाम बदलकर ''अनुसूचित जाति उप योजना'' कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाती है। संबंधित विभाग द्वारा राज्य योजना मद में जिन योजनाओं में अनुसूचित जाति के विकास हेतु प्रवाह दर्शाया जाता है, उन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय एवं भौमिक लक्ष्यों का आवंटन संबंधित विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को किया जाता है। योजना के प्रारम्भ में जहाँ अनुसूचित जाति उप योजना प्रवाह 2.57 प्रतिशत था, वह वर्ष 2015—16 तक बढ़कर 17.83 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) जनसंख्या के अनुपात में रखा जाना है। उक्त प्रवाह को निर्धारित प्रतिशत (17.83 प्रतिशत) तक लाने हेतु आयोजना विभाग द्वारा सभी विभागों के वर्ष 2012—13 के बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत अलग से प्रावधान कर दिया गया है तथा सभी विभागों को मांग संख्या 51 के बजट उपशीर्ष 789 खुलवाकर अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया है। आयोजना विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2017—18 से बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति हेतु 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात (17.83 प्रतिशत) में प्रावधान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

Back

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013

भारत सरकार द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013'' दिनांक 6.12.2013 से लागू किया जा चुका है। राज्य में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य में नोडल विभाग बनाया गया।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की क्रियान्विति का विवरण

- एम एस एक्ट 2013 की पालना में सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वे करवा लिया गया है। शहरी क्षेत्र में 1220 मैन्युअल स्केवेन्जर्स पाये गये हैं।
- चिन्हित हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का एम एस एक्ट 2013 की धारा—13 के अन्तर्गत पुनर्वास की पालना में सर्वे में चिन्हित स्वच्छकारों में से 323 व्यक्तियों की सूचना ूण्उेनतअमतलण्दपबण्पद पर अनुजा निगम द्वारा अपलोड की जा चुकी है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से उक्त चिन्हित स्वच्छकारों के खातों में राशि रूपये 40000 / —हस्तान्तरित कर दी गयी है।

मैन हॉल / सेप्टिक टेंक की सफाई हेतु मशीनों का उपयोग, संरक्षात्मक साधनों व उपायों की सुनिश्चितता हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है।

अपराधों के विचारण हेतु नगर निगम क्षेत्रों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य नगरीय व समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप खण्ड मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जा चुकी है।

माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जा चुका है।

जिला स्तरीय व उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जा चुका है। जिला स्तरीय समिति में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में व उपखण्ड स्तरीय समिति उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक को निरीक्षक घोषित किया गया जा चुका है।

Back

गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना

गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा गाड़िया लोहारों को मकान निर्माण हेतु देय अनुदान सहायता राशि रुपये 45000 को बढ़ाकर 70000 रुपये प्रति परिवार कर दिया है। यह राशि तीन किश्तों में क्रमशः 25000/–, 25000/– एवं 20000/– रुपये के रूप में दी जा रही है।

आवेदन कैसे करें

भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी द्वारा विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र ूऐरमण्तरेंजींदण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध है।

Back

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम,1955 का क्रियान्वयन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा "अस्पृश्यता" को निषिद्ध आचरण घोषित कर दिया गया है एवं वर्ष 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें छुआछुत को एवं उससे जुड़े हुए अन्य कार्य को अपराध घोषित किया तथा इन सभी के लिए दंड का प्रावधान रखा गया। उक्त अधिनियम को संशोधित कर "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955" का नाम दिया गया।

यह अधिनियम छुआछुत के प्रचार और आचरण संबधी बातों के लिए दंड का प्रावधान करता है। नागरिक अधिकार का आशय ऐसे अधिकार से है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 (मूल अधिकार) के द्वारा छुआछुत समाप्त किये जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अधिनियम सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर समान रूप से जाने के अधिकार प्रदान करता है एवं छुआछुत के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जाने पर रोक लगाने पर दण्ड की भी व्यवस्था करता है।

Back

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 यथा संशोधित 2015 का क्रियान्वयन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित 2015 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शील भंग करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, उनको उनकी कृषि भूमि से बेदखल करने इत्यादि अपराधों के दोषी पाये जाने वाले सवर्ण व्यक्तियों को न्यूनतम 6 माह से उम्र कैद तक के कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उक्त अधिनियम अन्तवर्गत दर्ज प्रकरणों का शीघ्र विचारण का उपबन्धा करने के प्रयोजन अन्तणर्गत राज्यत सरकार द्वारा 25 जिलों में अधिनियम अन्तमर्गत विशेष न्यांयालय संचालित किये जा रहे हैं तथा शेष जिलों में जिला एवं सेशन न्यासयालय को विशेष न्या यालय विनिर्दिष्टस किया हुआ है। इन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने एवं सशक्ते पैरवी हेतु विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी की गई है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वतयन एवं अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वमय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के शासन सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है एवं नियम 10 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक जिले में विशेष अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 16 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति एवं नियम 17 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन किया गया है।

Back

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्योंव पर गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार का अपराध किये जाने पर अधिनियम अंतर्गत पीडित/आश्रित व्यसक्ति को तुरन्त आर्थिक राहत राशि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रभावी दिनांक 14.04.2016 से संशोधित बढी हुई दरों से राहत की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

Back

टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के प्रकरणों पर त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य स्तरीय हैल्पलाइन हेतु टोल फ्री टेलीफोन संख्या 1800–180–6025 स्थापित किया गया है।

Back

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह

अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ष्डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रुपये (अक्षरे पाँच लाख रुपये मात्र) प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।

आवेदन कैसे करे

अन्तर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन sso.rajasthan.gov.in या ई–मित्र के माध्यम से करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.rajasthan.gov.in पद पर भी उपलब्ध है।

Back

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों/जातियों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना है।

आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव एवं तीन सदस्य हो । राज्य सरकार द्वारा श्री जितेन्द्र राय गोयल, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को अध्यक्ष, श्री हरि कुमार गोदारा, सेवानिवृत्त राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा को सदस्य सचिव एवं श्री सीताराम शर्मा तथा डॉ. अर्जुन लाल भाटी को सदस्य मनोनीत किया गया है। सदस्य का एक पद रिक्त हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है।

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।

Back

राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्घुमन्तु जातियों के परिवारों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुये है और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे है। अतः इन जातियों के समुदायों के कल्याण हेतु सर्वागीण विकास एवं उत्थान संबंधी सुझाव देने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्घुमन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

उक्त बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 रादस्य होगें। राज्य सरकार द्धारा उक्त बोर्ड में सदस्य पद पर श्री ओंकार सिंह बंजारा, श्री हीरालाल कालबेलिया, श्री बाबूलाल भाट, श्री बापू भील को मनोनीत किया गया।

Back

केश कला बोर्ड

राजस्थान में नाई समाज एवं केश कलाकारों के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केश कला कर्मियों की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने, इन वर्गों की पिछड़ेपन की दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने केश कला बोर्ड का गठन किया गया है।

उक्त बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होगें। राज्य सरकार द्धारा अध्यक्ष पद पर श्री मोहन मोरवाल को एवं सदस्य पद पर श्री प्रहलाद सैन, श्री मोहन लाल धांधल, श्री सुनील भाटी, एडवोकेट, श्री सुरेश चन्द्र सैन को मनोनीत किया गया।

Back

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग

इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज के वर्गों का चिन्हीकरण करने, पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने एवं उनके समग्र विकास हेतु आवश्यक सुझाव देने व सिफारिशें करना है।

आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव एवं एक सदस्य होगें। राज्य सरकार द्वारा उक्त आयोग में श्री अनुप चन्द गोयल, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति को अध्यक्ष, सदस्य के पद पर श्री मिथलेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं श्री करतार सिंह बनेडा को मनोनीत किया गया, तत्पश्चात् श्री मिथलेश कुमार शर्मा को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज के वर्गों का चिन्हीकरण, पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने एवं उनके समग्र विकास हेतु आवश्यक सुझाव देने व सिफारिशें करने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का पुर्नगठन किया गया हैं।

Back

अम्बेडकर पुरस्कार योजना

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ति पर विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार स्वरूप 51–51 हजार रूपये नकद दिये जाते हैं।

अम्बेडकर सामाजिक सेवा, महिला कल्याण एवं न्याय पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रेल के उपलक्ष्य में प्रदान किये जाते हैं। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने हेतु संघर्ष करने वाले व्यक्ति एवं संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशरित पत्र, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार अन्तर्गत महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था महिला को 51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर न्याय पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम राशि से पैरवी करने वाले अधिवक्ता को 51,000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।

Back

अन्त्येष्टि अनुदान योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण वर्ष 2017–18 में राज्य में अन्त्येष्टि अनुदान योजना आरम्भ करने की घोषणा की गयी। इस योजना में प्रदेश के किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक का ससम्मान दाह संस्कार करवाने वाली स्वयंसेवी संस्था को इस हेतु 5 हजार रूपये की राशि दी जायेगी।

प्रत्येक जिला में निम्नानुसर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जावेगा।

1. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि (अतिरिक्त जिला कलक्टर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद) – अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक या प्रतिनिधि – सदस्य।
3. कोषाधिकारी या प्रतिनिधि (लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी कोषालय) – सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रतिनिधि –सदस्य
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग– सदस्य सचिव

स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रत्येक जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किये जाने के बाद चयनित स्वंय सेवी संस्था द्वारा अपने क्षेत्र में किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में दाह संस्कार (अन्त्येष्टि क्रिया) स्वयं के खर्च पर तत्काल करवाया जावेगा। तत्पश्चात् संस्था द्वारा मांग विभाग के जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने पर विभाग द्वारा संस्था को राशि 5 हजार रूपये का पुनर्भरण किया जावेगा

Back

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अनुरूप वर्ष 2010–11 में राज्य में विशेष समूह के कक्षा 11 से पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई।

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना	देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (POST MATRIC SCHOLARSHIP) योजना। 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी के विद्यार्थियों के लिए
प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	अप्रेल 2010 से प्रभावी
लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	1. छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उक्त जातियां अंकित हो, तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 3. आवेदक के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,50,000 रूपये (शब्दो में दो लाख पचास हजार रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 4. यह छात्रवृति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में अध्ययन हेतु देय होगी, लेकिन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स तथा प्राईवेट पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण पोत डफरिन (वर्तमान में राजेन्द्रा) पर संचालित पाठ्यक्रमों, सैन्य महाविधालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तर के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रो के पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृति नहीं दी जायेगी। 5. नियोजित छात्र जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान वेतन रहित छुट्टी लेकर पूर्ण कालिक छात्र के रूप में अध्ययन करता है वह छात्रवृति के लिए पात्र होगा। 6. एक ही माता–पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। 7. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति/वृत्तिका नहीं लेंगे, अगर किसी छात्र को कोई दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका मिलती है, तो दोनों में से किसी एक लाभकारी विकल्प को चुन सकता हैं, तथा इस सम्बन्ध में अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने विकल्प चयन के बारे में सूचित करना होगा। दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका स्वीकार करने के दिन से इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति देय नहीं होगी। तथापि छात्र इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति के अतिरिक्त राज्य सरकार या अन्य स्त्रोतों से पुस्तके, साधन (Equipment) क्रय, आवास एवं भोजन के व्यय हेतु अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मदद स्वीकार कर सकता हैं। 8. आवेदन के साथ गत वर्ष की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self attested) प्रति एवं फीस की मूल रसीद संलग्न हो।
आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा	1. राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थानों, निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। 2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछडे वर्ग के छात्र/छात्रा जो उक्त जातियों में शामिल हो जो अन्य राज्यों की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत है, विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

मिलने वाली	1. निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)

वित्तीय लाभ / सुविधाऐं	पाठ्यक्रमों का समूहीकरण	निर्वाह / अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)	
		छात्रावासी	डे–स्कॉलर
	समूह ''1'' 1. चिकित्सा शास्त्र (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों), अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्चीटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलॉजी, कृषि, पशु–चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञानो, प्रंबधन, व्यावसायिक वित्त / प्रशासन तथा कंप्यूटर विज्ञान / अनुप्रयोग में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रम। 2. वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम। 3. मेनेजमेन्ट एण्ड मेडिशियन की विभिन्न ब्रांचों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। 4. सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस / आईसीएफए इत्यादि 5. एम.फिल. पीएचडी. एण्ड पोस्ट डॉक्ट्रेरल प्रोग्रामस (डी.लिट, डी. एससी इत्यादि) (a) In existing Group 2 courses (b) In existing Group 3 courses 6. एल.एल.एम.	1200 रूपये	550 रूपये
	समूह ''2'' 1. स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी.एससी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे रेहाब्लिाईजेशन डाईग्नोस्टिक आदि, मास कम्यूनिकेशन, हॉटल मेनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग, ट्रेवल / ट्यूरिज्म / हॉस्पिटीलिटी मैनेजमेन्ट, इंटिरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाईटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाऐं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर इत्यादि) जिन कोर्सों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सैकेण्डरी (10+2) है। 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह ''1'' में शामिल नहीं किये गये है जैसे एमए / एमएससी / एमकॉम / एमएड / एमफार्मा इत्यादि।	820 रूपये	530 रूपये
	समूह ''3'' सभी अन्य स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह ''1'' और ''2'' में शामिल नहीं है। जैसे बी.ए. / बी.एससी. / बीकॉम आदि।	570 रूपये	300 रूपये
	समूह ''4'' ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दस) है, जैसे सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य और व्यावसायिक दोनो पाठ्यक्रम, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पोलोटैक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इत्यादि।	380 रूपये	230 रूपये

	2. फीस राशि का पुनर्भरण संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षण व इस तरह के अन्य अनिवार्य शुल्क, छात्रों को भुगतान किये जायेगें। तथापि इसमें प्रतिदेय (Refundable) शुल्क जैसे कौशन मनी, शुल्क, सुरक्षा जमा (Security Deposit) शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **नोटः–** केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में निःशुल्क (Free) सीट व भुगतान (Paid) सीट पर लिये गये अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का पुनर्भरण किया जावेंगा तथापि भुगतान सीटों पर छात्रवृति स्वीकृत करने से पूर्व आय का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।	
	पात्र व्यक्तियों का कितने दिन में आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जायेगी।	सामान्यतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में।
	यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	सम्बन्धित शिक्षण संस्था के प्राचार्य/जिलाधिकारी/ मुख्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें। प्रभारी अधिकारी : संयुक्त निदेशक (देव.यो.) फोन : 0141–2226643 ई–मेल : sjeraj_dev@yahoo.in

देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 200 करोड रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निम्न योजनाएं स्वीकृत की गई :–

1. देवनारायण आदर्श छात्रावास–41
2. देवनारायण आवासीय विद्यालय–9
3. देवनारायण मोबाईल हॉस्पिटल योजना–10
4. छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल बयाना (भरतपुर)
5. छात्रों हेतु महाविद्यालय नादौती (करौली)
6. 25000 कि.ग्रा. का डेयरी प्लांट खेतडी जिला झुन्झुनूं
7. विशेष पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना
8. देवनारायण अनुप्रति योजना
9. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना
10. देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना
11. देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना
12. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
13. देवनारायण गुरूकुल योजना
14. ऋण एवं अनुदान संबंधी योजनाएं

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनाः—(क्रियान्वित करने वाला विभाग—उच्च शिक्षा विभाग)

1. राजस्थान मूल की विशेष समूह की वे छात्राऐं जिन्होनें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयो में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण मे प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार प्रतिवर्ष 1000 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। प्रतिवर्ष 1000 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1000वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
2. विशेष समूह की छात्रायें जिनके माता—पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनीयर सेकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए है उन्हे क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/—रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डीग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/— रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/— रूपये वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा।

देवनारायण गुरूकुल योजना :—(क्रियान्वित करने वाला विभाग—माध्यमिक शिक्षा विभाग)

विशेष समूह के प्रतिभावान छात्रों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग हेतु देवनारायण गुरूकुल योजना वर्तमान में चल रही ''उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति योजना'' के अनुरूप वर्ष 2011—12 से आरम्भ की गई है। देवनारायण गुरूकुल योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। आवेदन प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी की गई समय सारणी अनुसार किये जाते है।

1. देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष समूह के (कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन) छात्र—छात्रा जो राजस्थान के मूल निवासी हो।
2. छात्र—छात्रा (अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जिसमें ये जातिया सम्मिलित हो) 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया—लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी का हो।
3. छात्र—छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 न्यूनतम सी ग्रेड से उत्तीर्ण की हो।
4. छात्र—छात्रा के माता—पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।

Back

देवनारायण योजनान्तर्गत घोषित 200 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज

विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु वर्ष 2011—12 में 200 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निम्न योजनाऐं स्वीकृत की गई।

1. देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना—41
2. देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना—9
3. देवनारायण मोबाइल हॉस्पिटल योजना 10
4. छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल बयाना
5, छात्रों हेतु कॉलेज नादौती
6. 25000 कि.ग्रा. का डेयरी प्लांट खेतडी जिला झुन्झुनूं
7. विशेष पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना
8. विशेष पिछड़ा वर्ग अनुप्रति विस्तार योजना
9. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना
10. देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना
11. देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना
12. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 13. देवनारायण गुरूकुल योजना
14. ऋण एवं अनुदान संबंधी योजनाएँ

Back

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

(क्रियान्वित करने वाला विभाग :– उच्च शिक्षा विभाग) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना आरम्भ की गई। राजस्थान मूल की विशेष समूह वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होनें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार प्रतिवर्ष 1000 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की। जायेगी प्रतिवर्ष 1000 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1000वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी।

पात्रता

छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रायें जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2. 00 लाख रूपये से कम है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनीयर सैकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए है। उन्हे क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/–रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डीग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/– रूपये वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा।

Back

देवनारायण गुरूकुल योजना

(स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग) देवनारायण गुरूकुल योजना में विशेष पिछड़ा वर्ग के (कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन) को छात्र/छात्रा जो राजस्थान के मूल निवासी हो, जिन्होने पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो तथा जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हो, को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग हेतु देवनारायण गुरूकुल योजना लागू की गयी है।

गुरूकुल योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान है।

गुरूकुल योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

Back

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज के बढ़ते भौतिकवाद के फलस्वरूप नशे जैसी बुराइयों का प्रभाव शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है। नशे की बढ़ती हुई आदत की रोकथाम करने तथा लोगों को नशे की आदत से मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार की योजना को राजस्थान राज्य में वर्ष 1987 से संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार की योजना "scheme of assistance for prevention of alcoholism and substance (drugs) abuse and for social defence services को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा कार्यक्रमों के प्रस्तावों की जाँच कर प्रस्तावों को भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जाँच विभागीय जिलाधिकारी से करवाये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की संविक्षा उपरान्त योग्य पाये जाने पर प्रस्तावों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है। राज्य स्तरीय समिति के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त पाये गये प्रस्ताव मय अभिशंषा भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्यक्रम संचालन हेतु 90 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है, शेष 10 प्रतिशत राशि संबंधित स्वयंसेवी संस्था को वहन करनी होती हैं। विभाग द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में समन्वय का कार्य किया जाता है।

भारत सरकार की नशामुक्ति योजनान्तर्गत स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित नशामुक्ति केन्द्रों के प्रस्ताव । राज्य अनुदान समिति की अभिशंषा सहित विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

Back

नवजीवन योजना

अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त। व्यक्तियों/समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) हेतु नवजीवन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त हैं यथा कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, मोंगिया (मोंग्या), बावरिया, बेड़िया, बागरिया, सीरकीवाला, चौबदार एवं ढोली समुदायों के व्यक्ति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा इस हेतु चिन्हित व्यक्ति/परिवारों के पुनर्वास के लिये विभिन्न वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जाता है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

राज्य में नवजीवन योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देश विभाग द्वारा संशोधन कर सभी जिला कलक्टर एवं जिलाधिकारियों को भिजवाये गये हैं। इन निर्देशों के अन्तर्गत अवैध शराब के निमार्ण, भण्डारण एवं व्यवसाय में लिप्त एवं पात्र समुदाय/अन्य परिवारों को योजना से लाभान्वित कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य रखा गया है। योजना में परिवारों का सर्वे/चिन्हीकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास, प्रशिक्षण, स्वरोजगार एवं आश्रित बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में कुल प्रावधित राशि में से 40 प्रतिशत राशि की सीमा तक आधारभूत सुविधाओं/निर्माण कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

उक्त योजना में छात्रावास भवन जोधपुर का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है।

योजना के घटक

1. सर्वे/चिन्हीकरण एवं प्रचार–प्रसार
2, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना
3. कौशल प्रशिक्षण
4, स्वरोजगार हेतु ऋण/अनुदान
5, बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास

Back

परिवीक्षा सेवायें

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 राज्य में जनवरी, 1962 से लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को जो आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड से संबंधित अपराधों में लिप्त न हों, को कारावारा दण्ड की अपेक्षा न्यायालय द्वारा अच्छे आचरण रखने पर प्रतिभूति के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में छोड़ा जाता है। परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे किशोरों का परिवीक्षण करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित कराने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया जाता है।

Back

कारागृह कल्याण सेवायें

पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल–चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल–चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के मुख्य कर्तव्य एवं दायित्व कारागार में भ्रमण कर बंदियों की कारागार से बाहर की समस्याओं जैसे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध, बन्दी की जमीन–जायदाद आदि की सुरक्षा की व्यवस्था, बन्दी के रूके। हुए अन्य क्लेमों को दिलवाने की व्यवस्था, बन्दियों की अपीलों की शीघ्र सुनवाई करवाने की व्यवस्था करवाना है।

Back